REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 18, 2006/भाद्र 27, 1928
No. 444] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 18, 2006/BHADRA 27, 1928

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 570(अ).— केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और उनकी सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 अभिप्रेत है ;

(ख) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन नियुक्त बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन नियुक्त बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य अभिप्रेत है ;

(ङ) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों का, जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनका है ।

3. वेतन और भत्ते - (क) अध्यक्ष 26,000 रुपए (निश्चित) के मासिक वेतन का हकदार होगा ।

(ख) सदस्य 22,400-525-24,500 रुपए के वेतनमान में मासिक वेतन का हकदार होगा ।

(ग) अध्यक्ष और सदस्य समान वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को लागू दर पर महंगाई भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे :

परंतु ऐसे व्यक्ति की जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हो गया है और जो पेंशन, उपदान, अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अंशदान के रूप में कोई सेवानिवृत्ति फायदे या अन्य प्रकार के

सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है या प्राप्त कर लिए हैं अथवा प्राप्त करने का हकदार हो गया है, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति की दशा में ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के वेतन में से उसे प्राप्त हो रही या प्राप्त होने वाली पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अंशदान या किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति फायदों को, यदि कोई हो (उपदान के बराबर पेंशन को छोड़कर) की सकल रकम को घटा दिया जाएगा :

परंतु यह और कि यदि ऐसे किसी व्यक्ति को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों और/या स्वशासी निकायों के अधीन सेवा सहित किसी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह समान वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को लागू दर पर महंगाई भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा किन्तु वह उस अवधि के दौरान जिसमें वह अध्यक्ष या सदस्य का पद धारण करता है, पेंशन पर महंगाई राहत प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

4. छुट्टी - अध्यक्ष और सदस्य सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिन की अर्जित छुट्टी के हकदार होंगे । छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का संदाय केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगा । अध्यक्ष और सदस्य किसी भी समय अपनी जमा अर्जित छुट्टियों के पचास प्रतिशत को भुनाने का हकदार होगा ।

5. साधारण भविष्य निधि या अभिदायी भविष्य निधि, पेंशन और उपदान - अध्यक्ष और सदस्य अभिदायी भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित होंगे और साधारण भविष्य निधि नियमों के अधीन अंशदान करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होगा । अतिरिक्त पेंशन और उपदान विनियामक प्राधिकरण में की गई सेवाओं के लिए अनुज्ञेय नहीं होगा ।

6. छुट्टी यात्रा रियायत, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता - अध्यक्ष और सदस्य दौरे के समय वह मूल वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को लागू यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता के हकदार होंगे और वे मुख्यालय से बाहर, जहां लागू हो, केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन यात्री निवासों या निरीक्षण बंगलो में उस श्रेणी के अस्थायी सरकारी आवास की सुविधा का सामान्य किराए का संदाय करने पर हकदार होंगे जिनके समान वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी पात्र हैं ।

7. चिकित्सा उपचार - अध्यक्ष और सदस्य सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा स्कीम में यथाउपबंधित चिकित्सा उपचार और अस्पताल की सुविधाओं के और उन स्थानों पर हकदार होंगे जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम प्रवर्तन में नहीं है तथा अध्यक्ष और सदस्य जो सरकारी सेवक नहीं हैं, केन्द्रीय सेवा, (चिकित्सा परिचर्या) नियमों में यथाउपबंधित सुविधाओं के हकदार होंगे ।

8. विदेशों में सरकारी दौरे - अध्यक्ष और सदस्य पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के भारसाधक मंत्री के पूर्व अनुमोदन से और विदेश विभाग से राजनैतिक अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात् विदेश में सरकारी दौरे करने के हकदार होंगे । विदेश में दौरे की अवधि के दौरान दैनिक भत्ता और होटल आवास की व्यवस्था भारत सरकार में समान वेतन पाने वाले अधिकारियों को समय-समय पर लागू सरकारी अनुदेशों के अनुसार विनियमित होगी तथा विदेश में भारतीय मिशन उनकी व्यवस्था करेंगे तथा समान वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के अधिकारियों को लागू सुविधाएं प्रदान करेंगे ।

9. परिवहन भत्ता - अध्यक्ष और सदस्य निवास और कार्यालय के बीच परिवहन के लिए अपनी निजी कार के उपयोग और रख-रखाव के लिए समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अधिकथित तीन हजार रुपए और पांच हजार रुपए प्रति मास के बीच परिवहन भत्ते की निश्चित प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे और इसके अंतर्गत चालक का वेतन भी सम्मिलित होगा जो सरकार कर्मचारी नहीं होगा ।

10. आवास - अध्यक्ष और सदस्य को यह विकल्प दिया जाएगा कि यदि वे दिल्ली में रहते हैं तो वे मूल वेतन के तीस प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता का दावा कर सकते हैं किन्तु बोर्ड द्वारा कोई भी मकान किराए पर नहीं लिया जाएगा या सरकार द्वारा आबंटित नहीं किया जाएगा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के आसपास सैटेलाइट नगर की दशा में अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष की दशा में तीन सौ पचास वर्गमीटर के करीब निर्मित क्षेत्र के साथ और सदस्य की दशा में तीन सौ वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के साथ किराए का असुसज्जित आवास के हकदार होंगे जिसके साथ उपयुक्त खुली जगह भी संलग्न होगी जो संबद्ध नगरपालिक निकायों के विनियमों के अधीन अनुज्ञेय हो ।

11. पद और गोपनीयता की शपथ - अध्यक्ष और सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पूर्व इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे और प्रतिज्ञान करेंगे ।

12. टेलीफोन सुविधा, सरकारी बैठकें और मनोरंजन व्यय - अध्यक्ष और सदस्य उन टेलीफोन सुविधाओं, सरकारी बैठकों और मनोरंजन व्ययों के भी पात्र होंगे जो समान वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के अधिकारियों को अनुज्ञेय हैं ।

13. अवशिष्ट विषय - अध्यक्ष या सदस्य की सेवा के निबंधनों और शर्तों से संबंधित विषय जिनकी बाबत इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, वे होंगे जो समान वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को अनुज्ञेय हैं ।

14. शिथिल करने की शक्ति - केन्द्रीय सरकार को अध्यक्ष या किसी सदस्य की बाबत इन नियमों में किसी उपबंध को, उसके लिए जो कारण हों उनको लेखबद्ध करने के पश्चात्, शिथिल करने की शक्ति होगी ।

15. निर्वचन - यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसपर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

[फा. सं. पी-23011/1/06-एमकेटी]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

प्ररूप - 1

(नियम 13 देखिए)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए पद की शपथ का प्ररूप

मैं, ..., अध्यक्ष या सदस्य (जो भाग लागू न हो उसे काट दें) के रूप में नियुक्त हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य (जो भाग लागू न हो उसे काट दें) के रूप में अपने कर्त्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से किसी भय या पक्षपात या अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा ।

(अध्यक्ष या सदस्य का नाम)

तारीख :

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

प्ररूप - 2

(नियम 13 देखिए)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्यों के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूप

मैं, ..., अध्यक्ष या सदस्य (जो भाग लागू न हो उसे काट दें) के रूप में नियुक्त हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उक्त पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य (जो भाग लागू न हो उसे काट दें) के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि अध्यक्ष या सदस्य (जो भाग लागू न हो उसे काट दें) के रूप में अपने कर्त्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा ।

(अध्यक्ष या सदस्य का नाम)

तारीख :

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2006

G.S.R. 570(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 5 read with clause (a) of Sub-section (2) of Section 60 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - In these rules, unless the context other wise requires, -

(a) "Act", means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;

(b) "Board", means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board established under sub-section (1) of Section 3 of the Act;

(c) "Chairperson", means the Chairperson of the Board appointed under Section 4 of the Act;

(d) "Member", means a whole-time Member of the Board appointed under Section 4 of the Act;

(e) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

3. **Salaries and allowances.** -

(a) The Chairperson shall be entitled to a monthly salary of Rs.26,000 (fixed).

(b) The Member shall be entitled to a monthly salary in the pay scale of Rs.22,400-525-24,500.

(c) The Chairperson and a Member shall be entitled to draw dearness allowance and city compensatory allowance at the rate applicable to a Group 'A' officer of the Central Government drawing an equivalent pay:

Provided that in case of appointment of a person as the Chairperson or a Member who has retired from the service under Central Government or State Government and who is in receipt of, or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity, employers contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay of such Chairperson or Member, shall be reduced by the gross amount of pension or employers contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any (except pension equivalent of gratuity), drawn or to be drawn by him:

Provided further that if a person who has retired from any service including service under Central Government or State Government, Public Sector Undertakings and/or Autonomous Bodies is appointed as the Chairperson or a Member, he shall be entitled to receive dearness allowance at the same rate as applicable to a Group 'A' officer of the Central Government drawing an equivalent pay, but he shall not be entitled to receive dearness relief on pension during the period he holds office as such Chairperson or a Member.

4. **Leave. -** The Chairperson and a Member shall be entitled to thirty days of earned leave for every year of service. The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972. The Chairperson and a Member shall be entitled to encashment of fifty percent of earned leave to his credit at any time.

5. **GPF or CPF, Pension and Gratuity. -** The Chairperson and Members would be governed by contributory Provident Fund Rules and no option to subscribe under GPF Rules will be available. Additional Pension and Gratuity will not be admissible for service rendered in the Regulatory Authority.

6. **Leave Travel Concession, Travelling Allowance and Daily Allowance. -** The Chairperson and a Member shall be entitled to travelling allowance and Daily allowance on tour as applicable to Government Servants drawing that basic pay and they shall also be entitled to facility of temporary Government accommodation in Guest Houses or Inspection Bungalows under the control of the Central Government, wherever applicable, on payment of normal rent at out-stations, of the class to which Government Servants of equivalent pay are eligible.

7. **Medical Treatment.-** The Chairperson and a Member shall be entitled to Medical treatment and Hospital facilities as provided in the Central Government Health Service Scheme for retired Government servants and at places where the CGHS Scheme is not in operation, the Chairperson and Members who are not Government servants shall be entitled to the facilities as provided in the Central Service (Medical Attendance) Rules.

8. **Official Visits Abroad.-** The Chairperson and a Member shall be entitled to undertake official visits abroad with the prior approval of the Minister-in-charge of the Ministry of Petroleum and Natural Gas and after political clearance from the Ministry of External Affairs. The daily allowance and the provision for hotel accommodation during the period of tour abroad shall be regulated in accordance with the Government instructions as applicable from time to time to officers of equivalent pay in the Government of India and Indian Missions abroad shall take care of arrangements and extend facilities as applicable to Group "A" officers of the Central Government drawing an equivalent pay.

9. **Transport allowance.-** The Chairperson and a Member shall be eligible for fixed reimbursement of transport allowance between Rs.3,000/- and Rs.5,000/- per month as laid down by the Department of Personnel and Training from time to time for the use and maintenance of his personal car for transportation between residence and office and it shall include the salary of a driver who would not be a Government servant.

10. Accommodation. - The Chairperson and a Member shall be given the option of claiming House Rent Allowance @ 30% of the basic pay drawn if they stay at Delhi but no house shall be hired by the Board or allotted by the Government and in case of a satellite town surrounding the National Capital Territory of Delhi, the Chairperson and a Member shall be entitled to rented unfurnished accommodation with built-up area measuring around 350 square meters for Chairperson and 300 square meters for a Member with suitable open land area appurtenant as permissible under the regulations of the concerned municipal bodies.

11. Oath of Officer and Secrecy. - The Chairperson and Members shall, before entering upon their office, make and subscribe an Oath of Office and Secrecy, in the forms I and II annexed to these rules.

12. Telephone facility, official meetings and entertainment expenses. - The Chairperson and a Member shall be eligible for telephone facilities, official meetings and entertainment expenses as admissible to a Group "A" officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

13. Residuary matters. - Matters relating to the terms and conditions of service of the Chairperson or a Member with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to a Group "A" officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

14. Power to relax. - The Central Government shall have power to relax, after recording in writing the reasons thereof, any provision of these rules in respect of Chairperson or any Member.

15. Interpretation. - If any question arises relating to the interpretation of these rules, the decision of the Central Government there-upon shall be final.

[F. No. P-23011/1/06-Mkt.]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

FORM – 1

(see rule 13)

Form of Oath of Office for the Chairperson and Members of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board

I,______________________________, having been appointed as the Chairperson or Member *(cross out portion not applicable)* solemnly affirm and do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chairperson or Member *(cross out portion not applicable)*, of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, to the best of my ability, knowledge and judgement, without fear or favour, affection or ill-will.

(Name of the Chairperson or Member)

Dated: PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

FORM – II

(see rule 13)

Form of Oath of Secrecy for the Chairperson or Members of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board

I,________________________________, having been appointed as the Chairperson or Member *(cross out portion not applicable)* do solemnly affirm and swear in the name of God that I will directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Chairperson or Member *(cross out portion not applicable)*, of the said Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, except as may be required for the due discharge of my duties as the Chairperson or Member *(cross out portion not applicable)*.

(Name of the Chairperson/Member)

Dated: PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD